रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 158] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 5, 1970/भाद्र 14, 1892
No. 158] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 5, 1970/BHADRA 14, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CORRIGENDUM

INCOME-TAX

New Delhi, the 3rd September 1970

G.S.R. 1312.—In the notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. G.S.R. 492, dated the 21st March, 1970, published at page 373 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 21st March, 1970,

in line 8, for "in this behalf of the Central Government" read "in this behalf, the Central Government".

[No. 156/F. No. 131(84)/70-TPL.]
R. N. MUTTOO, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1970

का० नि० आ० 1312.—वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० जी० एस० आर० 492, तारीख 21 मार्च, 1970 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 21 मार्च, 1970, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में पृष्ठ 374 पर प्रकाशित हुई थी, एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात् :—

(i) चौथी पंक्ति में "जी० एस० आर०" के स्थान पर "सा० का० नि०" पढ़ें ।

(ii) पांचवीं पंक्ति में "यड़" के स्थान पर "यङ" पढ़ें ।

(iii) दसवीं पंक्ति में "स्कीम;" के स्थान पर "स्कीम," पढ़ें ।

(iv) अठारहवीं पंक्ति में 'म' के स्थान पर "सं" पढ़ें ।

(v) उन्नीसवीं पंक्ति में "आर० एस० मुट्टू" के स्थान पर "आर० एन० मूट्टू" पढ़ें ।

[सं० 156/फ० सं० 131(84)/70–टी पी एल]

आर० एन० मुट्टू, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970